

प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूपः—

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नामः— द्वितीय वृत्त, मेरठ

परिषद दिवस के आयोजन का दिनांकः—18.09.2015

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं०	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय—(तत् काल / 7 दिन / 15 दिन)	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	श्री मदन लाल आर्य पुत्र स्व० श्री बलवीर सिंह शर्मा 1144 / 3 शास्त्रीनगर, मेरठ 9897532028	पुलिस के दरोगा द्वारा आवास विकास विभाग की भूमि को कब्जा कर हड्डी गयी भूमि को कब्जामुक्त कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 2265 / जी-19 / 73 दिनांक 14.10.15 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि स्थलीय जांच कराने पर पाया गया है कि भवन संख्या-1143/3 के स्वामी द्वारा सड़क की भूमि के कुछ भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसमें वांछित कार्यवाही नगर निगम मेरठ द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में परिषद स्तर से जो भी सहयोग अपेक्षित होगा वह प्रदान किया जायेगा। आपके द्वारा दिया गया पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है।	निस्तारित
2.	श्री करन सिंह पुत्र स्व० श्री राम चरण, नि०-ग्राम सरायकाजी डाक व थाना मैडिकल कॉलेज, गढ़ रोड, मेरठ।	दुकान के पंजीकरण हेतु परिषद में जमा बैंक ड्राफ्ट द्वारा एक लाख रुपये की धनराशि मय ब्याज प्रार्थी का वापस करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-08, मेरठ के पत्रांक 2124 / जी-19 / 70 दिनांक 26.09.15 के द्वारा आवंटी को विस्तृत सूचना प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत ड्राफ्ट खण्ड कार्यालय द्वारा कैश न कराये जाने के कारण इसका डुप्लीकेट बैंक ड्राफ्ट खण्ड कार्यालय में प्राप्त होने पर इसे आपको वापस किया जा सकता है। आपके द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है।	निस्तारित

3.	श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह, 115/6, शास्त्ररीनगर, मेरठ।	भूखण्ड सं0-1328/1 माधवपुरम यो0सं0-10 के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-08, मेरठ के पत्रांक 2205/ जी-19/ 72 दिनांक 06.10.15 के द्वारा आवंटी को विस्तृत सूचना प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि भूखण्ड का संशोधित ले-आउट प्लान प्राप्त होने पर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। ले-आउट प्लान संशोधन हुए बिना प्रकरण के सम्बन्ध में वर्तमान में खण्ड स्तर से कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। आपके द्वारा दिया गया उक्त पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है।	निस्तारित
4.	श्रीमती सविता रानी पत्नी श्री प्रवीन रौय, 305/9 जागृति विहार, मेरठ।	भवन सं0-305/9 के आगे अवैध निर्माण कर रास्ता कम करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, मेरठ के पत्रांक 1349/ जी-15/ 138 दिनांक 09.10.15 द्वारा वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया है।	निस्तारित
5.	श्री सौरभ तिवारी, 383/5, इन्दिरानगर कॉलोनी, देहरादून 9719520202	इन्दिरानगर कॉलोनी देहरादून में सामुदायिक केन्द्र की भूमि पर निर्माण न होने के कारण असामाजिक व्यक्तियों द्वारा अवैध प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 858 दिनांक 23.1.16 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड सं0-सी0सी0-01 को फीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में मैसर्स एडवान्स कन्सट्रक्शन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्ड पीठ लखनऊ में योजित रिव्यू पिटीशन सं0-68/2014 परिषद के विरुद्ध दायर की गयी है, जोकि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। रिव्यू पिटीशन में मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने के उपरान्त ही सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड सं0-01 पर कब्जा/ बाऊन्डीवॉल निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है। तदानुसार परिषद दिवस दिनांक 18.9.15 में प्राप्त शिकायत का निस्तारण किया जाता है।	निस्तारित
6.	सरदार मंगल सिंह गिल, 58/3 जागृति विहार, मेरठ	गुरुद्वारे हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-08, मेरठ के पत्रांक 2203/ जी-19/ 71	निस्तारित

दिनांक 06.10.15 के द्वारा आवंटी को विस्तृत सूचना प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि भविष्य में संस्थागत भूखण्डों की नीलामी होने पर आवेदक यथाविधि आवेदन करते हुए नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1453/ वाई-17/ 167 दिनांक 26.6.15 द्वारा अवगत कराया जा चुका है। अतः परिषद नीति के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत पत्र पर वर्तमान में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। आपके द्वारा दिया गया उक्त पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है।